

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 6]

नवा रायपुर, गुरुवार, दिनांक 8 जनवरी 2026 — पौष 18, शक 1947

वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 8 जनवरी 2026

अधिसूचना

क्रमांक एफ PLGMJ-2406/48/2025-REGISTRATION (1). — भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, भारतीय स्टाम्प अधिनियम की अनुसूची 1—क के अनुच्छेद 13 (क) से संबंधित लिखतों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में कमी करते हुए “अधिकतम पच्चीस हजार रुपये के अध्यधीन रहते हुए, रकम का 0.25 प्रतिशत” से “0.05%” करती है।

यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावशील होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अंकित आनंद, सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 8 जनवरी 2026

क्रमांक एफ PLGMJ-2406/48/2025-REGISTRATION (1). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PLGMJ-2406/48/2025-REGISTRATION (1) दिनांक 08-01-2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अंकित आनंद, सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 8th January 2026

NOTIFICATION

No. F PLGMJ-2406/48/2025-REGISTRATION (1) .— In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899) the State Government, hereby, reduces the Stamp Duty chargeable on instruments relating to Article 13A of Schedule I-A Of the Indian Stamp Act, from “ 0.25 percent of the amount, subject to a maximum of twenty-five thousand” to “0.05%”

This notification shall come into effect from the date of publication in the Official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ANKIT ANAND, Secretary.